

राजस्थान सरकार

निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

(जी-३, राजमहल रेजीडेंसी, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर, दूरभाष एवं फैक्स नं.-०१४१-२२२२४०३)

dlbrajasthan@gmail.com / dlbdda05@gmail.com

क्र मांक : प.१(ग)()का/एसएमई/डीएलबी/१८/१५००३

दिनांक : ६/६/१८

-: आदेश :-

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सेवाये संवर्ग के निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
१	अंकिता चतुर्वेदी	लिपिक घेड़ा	राजगढ़(अलवर)	बांदीकुई
२	सोनल कुमारी गुर्जर	फायरमैन	जयपुर	बांदीकुई

श्री मंथक मेहरा, फायरमैन नगर परिषद, बांरा को कार्य निष्पादन हेतु प्रशासनिक/कार्यव्यवस्था के तहत उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, कोटा में पदस्थापन किया जाता है साथ ही इनके बेतन भत्तो का भुगतान उपरिथित प्रमाण पत्र के आधार पर नगर परिषद, बांरा से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

नोट:-

- स्थानान्तरित कर्मचारियों के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत कराये अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
- स्थानान्तरित कर्मचारियों का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हे बेतन का भुगतान किया जावे।
- यदि कोई कर्मचारी दैनिक बेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
- यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।


(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त
शासन सचिव

क्रमांक:- प.१(ग)(७)का/एसएमई/डीएलबी/१८/१५००३-०१ दिनांक : ६/६/१८

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
- निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
- महापौर/सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/ पालिका, जयपुर/बांरा/बांदीकुई/राजगढ़(अलवर)।
- उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, कोटा/जयपुर।
- सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाईट व एलएसजी की वेबसाईट पर अपलोड करे।
- संबंधित कर्मचारी
- सुरक्षित पत्रावली।


(अलका मीणा)
उप निदेशक(प्रशासन)